संख्या–वे0आ0–2–2052/दस– 59(एम)/2008,

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010.

विषयः––वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/ उच्चीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयीं निम्न संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अनुसार समूह 'घ' के पूर्व वेतनमान रू0 2550–3200, 2610–3540 तथा 2650–4000 के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड –1एस0, रू0 4440–7440 एवं ग्रेड वेतन कमशः रु0 1300/–, 1400/– तथा रु0 1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/– अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाय।

3– उपर्युक्तानुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/– में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–841/दस–2009–59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 तथा समय–समय पर तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4— उपर्युक्त शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1314 / दस—54(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अनूप मि

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—2— 2052 (1) / दस—59(एम) / 2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I एवं II तथा (आडिट)— I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10— निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
11— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 58 सा0 वित्त—10ऋ9—2010—(1004)—5,000 प्रतियां—(कम्प्यु0 / टी0 / आफसेट)।